न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–16 / 2020–21

हुसना आरा वगै0 .... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य .... द्वितीय पक्ष

आदेश

आवेदिका हुसना आरा, पति– साबीर कोरैशी एवं अफसाना खातुन, पति– पप्पु कोरैशी, साकिन– जरमुने, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या **176 R27/2018-19** में पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
जरमुने	108	54	2213	45 डी0

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या **176 R27/2018-19** में दिनांक 16.05.2019 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर विक्रेता के नाम से ऑनलाईन प्लॉटवार जमाबंदी कायम नहीं है, खतियान की प्रति भी ऑनलाईन में अपलोड नहीं किया गया है जिसके कारण नामांतरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा न्यायालय में अपील वाद दायर कर उक्त भूमि से संबंधित केवाला, खतियान एंव अन्य कागजात की छाया प्रति उपलब्ध कराया गया है।

तद्नुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या **176 R27/2018-19** में दिनांक 16.05.2020 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

23/12/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

23/12/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)